न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-01, आजमगढ़।

स्टेट---- बनाम ----**रामअवध आदि,**
सत्र परीक्षण संख्या**- 103/2026,**
मु०अ०सं०**-56/2022**
धारा- **323,504,506,308,352 भा०दं०सं०,**
थाना- जहानागंज, जनपद आजमगढ।

आरोप

मैं **कमलापति-I** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-01, आजमगढ़ आप अभियुक्तगण **1.रामअवध, 2. रोशन, 3. अमन** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूं-

1- यह कि दिनांक 02.03.2022 को समय 17.00 बजे पहर 6, बहद स्थान अफजलपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ में आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा हरेन्द्र को लाठी डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने **भारतीय दंड संहिता** की **धारा-323/34** के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त दिनाँक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा उपरोक्त को गाली-गुप्ता देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने **भारतीय दंड संहिता** की **धारा-504** के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा उपरोक्त को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने **भारतीय दंड संहिता** की **धारा-506** के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा उपरोक्त को लाठी डंडा से मारे-पीटे, जिससे उसके सर में गंभीर चोटें आयी और उसे गम्भीर चोट आने के कारण वह मौके पर बेहोश गया। यदि आप लोगों के उक्त कृत्य से उसकी मृत्यु हो जाती तो आप अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों ने **भारतीय दंड संहिता** की **धारा-308/34** के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा उपरोक्त पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। तद्द्वारा आपने भारतीय दण्ड संहिता की **धारा-352/34** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों में आप लोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 19.03.2026

(कमलापति-I)
J.O. Code-UP-6168
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०-01, आजमगढ़।

आरोप अभियुक्तगण को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की मांग किया।

दिनांक 19.03.2026

(कमलापति-I)
J.O. Code-UP-6168
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०-01, आजमगढ़।

Digitally signed by KAMALA PATI PAL
Date: 2026.03.19 16:26:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-01, आजमगढ़।

स्टेट---- बनाम ----**रामअवध आदि,**
सत्र परीक्षण संख्या**- 103/2026,**
मु०अ०सं०**-56/2022**
धारा- **323,504,506,308,352 भा०दं०सं०,**
थाना- जहानागंज, जनपद आजमगढ।

दिनांक-19.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **1.रामअवध, 2. रोशन, 3. अमन** मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। राज्य की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं विवेचना के दौरान एकत्र किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण **1.रामअवध, 2. रोशन, 3. अमन** के विरूद्ध धारा- **323/34, 504, 506, 308/34, 352/34 भा०दं०सं०** का आरोप प्रथम दृष्टया बनता है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, उन्होंने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की याचना किया।

अभियोजन साक्षीगण जरिये समन तलब हो। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक **07.05.2026** को पेश हो।

दिनांक 19.03.2026

(कमलापति-I)
J.O. Code-UP-6168
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०-01, आजमगढ़।